भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या ∗75
उत्तर देने की तारीख **12.12.2022**

तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

∗**75.** डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्रीमती कविता मलोथू:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए बढ़े हुए **10** प्रतिशत आरक्षण का अनुमोदन करने हेतु तेलंगाना सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में दिनांक **12.12.2022** को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या ∗**75** के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संदर्भित विवरण

(क) और (ख): हां, महोदय, एक विधेयक, जिसका नाम है, "तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) विधेयक, **2017"** गृह मंत्रालय में प्राप्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि इस विधेयक पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के विषय पर लंबित मामलों के निपटान के पश्चात कार्रवाई की जाए।

(ग): नहीं, महोदय।

(घ): उपरोक्त (क), (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

****